



मुख्य कार्यालय, नगर पालिक निगम, सुपेला, भिलाई



लोक सेवा गारंटी



छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011



छ.ग. लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान)
नियम 2011



उद्देश्य - स्थानीय निकाय द्वारा नियत समय के भीतर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाओं का प्रदाय करने सुनिश्चित करना।



छत्तीसगढ़ राज्य में लागू दिनांक 12.12.2011



नगर पालिक निगम, भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई

मुख्य कार्यालय, नगर पालिक निगम, सुपेला, भिलाई



लोक सेवा गारंटी

अधिसूचित लोक सेवा संख्या - 23

पदाभिहित अधिकारी (सेवा हेतु विभिन्न विभाग प्रमुख) :-

- नोडल अधिकारी, श्री तपन अग्रवाल, सहायक अभियंता
- प्रभारी लिपिक - श्री शशिभूषण मोहन्ती

01 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक कुल आवेदन प्राप्त - 12602



नगर पालिक निगम, भिलाई

नगर पालिक निगम भिलाई

मुख्य कार्यालय, नगर पालिक निगम, सुपेला, भिलाई



निराकृत संख्या - 12535



लंबित संख्या - 67



अधिसूचित लोक सेवा सूची एवं सेवाये प्रदान करने हेतु निश्चित समय-सीमा :-

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> नल कनेक्शन - 30 दिवस | <input type="checkbox"/> निशक्त जन छात्रवृत्ति - 30 दिवस |
| <input type="checkbox"/> राशन कार्ड (नया) – 30 दिवस | <input type="checkbox"/> जन शिकायत – 30 दिवस |
| <input type="checkbox"/> भवन अनुज्ञा – 30 दिवस | <input type="checkbox"/> मृत्यु - 30 दिवस |
| <input type="checkbox"/> राष्ट्रीय परिवार सहायता – 21 दिवस | <input type="checkbox"/> गुमास्ता लायसेन्स – 30 दिवस |
| <input type="checkbox"/> जन्म – 30 दिवस | <input type="checkbox"/> ट्रैड लायसेन्स - 30 दिवस |



लोक सेवा गारंटी



- ❑ राजस्व (नाम हस्तांतरण सम्पतिकर) – 30 दिवस
- ❑ सामाजिक सुरक्षा पेंशन - 60 दिवस
- ❑ सुखद सहारा पेंशन – 60 दिवस
- ❑ इंदिरा गाँधी वृद्धवस्था पेंशन – 60 दिवस
- ❑ इंदिरा गाँधी निशक्त जन पेंशन - 60 दिवस
- ❑ इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन - 60 दिवस
- ❑ पेंशन संबंधी शिकायत की जाँच - 60 दिवस



लोक सेवा गारंटी



लोक सेवा गारंटी की जानकारी हेतु संपर्क मो. न. - 9424117005



धन्यवाद